छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय–सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)
Telephone: 0771-2272969, Email: swc.mgrpersonnel@gmail.com, Website : www.cgswc.cg.gov.in

क्रमांक / ३७५ / छगवेका / स्था0(SOP / 2024) / 2024–25 / नवा रायपुर दिनांक– 17/01/25

–:: आदेश ::–

निगम की सेवा से अधिकारी / कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पूर्व, गोदामों में परिलक्षित भण्डारण हानि के प्रकरणों का गुण–दोष के आधार पर समयबद्ध प्रक्रिया से निराकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार "मानक संचालन प्रक्रिया" (**SOP**) निर्धारित की जाती है।

(01) भण्डारण हानि / अन्य प्रकरणों में निगम को हुई आर्थिक क्षति अथवा जमाकर्ता द्वारा भण्डारण शुल्क देयकों से की गई कटौती से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि के 01 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की जावे।

(02) निगम के अधिकारी / कर्मचारियों की अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त आदेश जारी किया जावे एवं संबंधित की पदस्थी स्थल तथा अवधि से संबंधित जानकारी स्थापना अनुभाग द्वारा अन्य संबंधित समस्त अनुभाग को उपलब्ध कराई जावे।

(03) भण्डारण हानि / अन्य प्रकरणों में निगम को हुई आर्थिक क्षति / वसूली के संबंध में नोड्यूस की कार्यवाही स्थापना अनुभाग द्वारा संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती में प्रारम्भ की जावे। संबंधित समस्त अनुभाग 01 माह की अवधि में वांछित जानकारी स्थापना अनुभाग को उपलब्ध करावें।

(04) शाखा प्रबंधक की हैसियत से पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के 06 माह पूर्व, शाखा के प्रभार से कार्यमुक्त किया जावे।

(05) शाखा प्रबंधक की हैसियत से पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों को शाखा प्रबंधक के कार्य–प्रभार से मुक्त करने के पूर्व के 06 माह में परिलक्षित भण्डारण हानि एवं अन्य प्रकरणों का संबंधित अनुभाग द्वारा सतत् परीक्षण कर अद्यतन स्थिति में रखा जावे।

(06) भण्डारण हानि / अन्य प्रकरणों के निराकरण हेतु, गठित समिति की नियमित बैठक (पाक्षिक) आयोजित की जावे एवं बैठक में संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया जावे। बैठक तिथि से 15 दिवस पूर्व, तकनीकी अनुभाग प्रमुख द्वारा कर्मचारी को विषयवस्तु से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जावे एवं बैठक में उसके द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर विचार किया जावे। संबंधित कर्मचारी की वर्तमान पदस्थी स्थल के जिले के नोडल अधिकारी को भी बैठक में सम्मिलित किया जावे।

(07) समिति के निष्कर्ष पर अधिकारी / कर्मचारी के **सहमत होने की दशा में** प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे एवं समिति प्रतिवेदन प्रबंध संचालक महोदय के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

अधिकारी / कर्मचारी के **असहमत होने की दशा में** नियमानुसार आगामी कार्यवाही / विभागीय जॉच हेतु, प्रकरण प्रबंध संचालक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

(08) अन्य कारणों से निगम को हुई आर्थिक क्षति / जमाकर्ता द्वारा भण्डारण शुल्क देयकों से काटी गई राशि के संबंध में गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर प्रबंधक (वाणिज्य) स्पष्ट अनुशंसा सहित समिति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगें।

P.T.O.

(09) वर्ष 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के असामान्य भण्डारण हानि/अन्य प्रकरणों पर, प्रबंधक (वै0भ0गु0नि0) कार्यवाही करते हुये समिति के माध्यम से तीन माह के भीतर प्रकरण प्रबंध संचालक के समक्ष प्रस्तुत करें।

(10) वर्तमान में कार्यरत शाखा प्रबंधकों के असामान्य भण्डारण हानि प्रकरणों का नियमित रूप से प्रबंधक (वै0भ0गु0नि0) समयबद्ध रूप से निर्धारित मापदण्ड के आधार पर परीक्षण करें।

(11) निगम द्वारा प्रत्येक छःमाही में शाखाओं में किये जाने वाले भौतिक सत्यापन में स्कंध की कमी पाये जाने पर गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर, 03 माह के भीतर, दोषी कर्मचारी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही हेतु प्रबंधक (वै0भ0गु0नि0) प्रस्ताव प्रबंध संचालक के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार SOP का पालन सुनिश्चित करें।

17/1/25

प्रबंध संचालक

क्रमांक/ 854 /छगवेका/स्था0(SOP/2024)/2024–25/ नवा रायपुर दिनांक–17/01/25

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ प्रेषित।

01. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर।
02. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
03. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
04. निज सचिव, प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर।
05. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, सेक्टर–24, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
06. प्रबंधक (कार्मिक/लेखा/वाणिज्य/वै0भ0गु0नि0), कार्यपालन अभियंता, नोडल अधिकारी (आई0टी0), प्रदाय अधिकारी, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर।
07. समस्त शाखा प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़। शाखा पर पदस्थ समस्त कर्मचारियों को अवगत करावें।
08. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
09. प्रोग्रामर, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर को निर्देशित है, कि उक्त आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. मास्टर नस्ती/नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्रबंध संचालक